



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- 1865/कर कक्ष/2022-23 P.O

दिनांक- 27-9-22

“ई-निविदा सूचना”

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिवाइडरों पर स्थित विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन हेतु निविदा।	दि० 28-9-22 के 11:00 AM से दि० 14-10-22 के 11:30 AM तक	दि० 14-10-22 के 12:00 PM	कक्ष सं० 12

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्त नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

O/C



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)

पत्रांक:- /कर कक्ष/2022-23

दिनांक- 27-9-22

1865/1 to 1865/7 P.O 2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक अमर उजाला एवं दैनिक-जमाना को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 28-9-22 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियाँ सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना निविदा शर्त उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेंडर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

**उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)
नियमावली 2015 के अनुपालन में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिवाइडरों पर स्थित विद्युत
पोलो पर पोल कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन लगाने हेतु ई-निविदा (2022-24) की
शर्तें एवं प्रावधान:-**

1. विद्युत पोलो पर कियोस्क लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष तक मान्य होगी।
2. विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क अधिकतम 2.5X03 फीट के आकार के लगाये जायेंगे जो भूमि से कम से कम 2.5 मी० ऊँचाई पर स्थापित किये जायेंगे।
3. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु ठेके के प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग हेतु न्यूनतम निविदा राशि **रु० 6,39,276.00** (रु० छः लाख उनतालीस हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) दो वर्ष हेतु निर्धारित की गयी है, जिसमें 18 प्रतिशत जी०एस०टी० अलग से देय होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्ही 03 वर्षों का आयकर रिटर्न सलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्ही 03 वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र (UDIN न० सहित) रु० 10,00,000.00 (रु० दस लाख मात्र) प्रतिवर्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी०ए० द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुरद-बुरद नहीं किया गया है, निविदाके साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (63,928.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में सलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी०एस०टी० सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. भविष्य में यातायात जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी पोल कियोस्क हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में पोल कियोस्क हटाने होंगे। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10. पोल कियोस्क में विद्युत विज्ञापन नगर निगम की पूर्व अनुमति के पश्चात ही स्थापित किये जायेंगे, जिसमें आने वाले व्यय व बिजली के बिल का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा ही किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्युत पोल पर रंग-रोगन आदि का कार्य अनुबन्धकर्ता द्वारा किया जायेगा।
11. पोल कियोस्क इस प्रकार से लगाये जायेंगे जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो तथा पोल कियोस्क आँधी तूफान में भी पूर्णतः सुरक्षित रहें। आँधी तूफान या अन्य किसी कारणवश पोल कियोस्क के गिरने से यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
12. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। "निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।
14. अनुबन्धकर्ता को ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
15. अनुबन्धकर्ता को समय-समय पर मा0 न्यायालय/उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन ऊधमसिंह नगर/नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
16. पोल कियोस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।
18. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले ना हो एवम शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
19. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
20. पोल कियोस्क लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
21. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे बौध उत्पन्न हों या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे किसी चालन किया में विघ्न पड़ता हो ऐसे कियोस्क की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
22. पोल कियोस्क नगर निगम के विद्युत अनुभाग के प्रकाश निरीक्षक/अवर अभियन्ता के निर्देशन में लगाये जायेंगे।
23. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेन्टिंग, विद्युत पोलों पर लग विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।

24. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
25. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होंगी, तथा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को एक सप्ताह का नोटिस प्रेषित किया जायेगा उस अवधि में अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर रू0 1,000.00 (एक हजार) प्रति पोल कियोस्क की दर से तथा पुनः शिकायत का निराकरण न होने पर रू0 5,000.00 (पाँच हजार) जुर्माना प्रति पोल कियोस्क आरोपित किया जायेगा।
26. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
27. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है।
28. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
29. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
30. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-

- I. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 07 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, एवं जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- II. प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदनोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- III. प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो









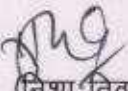


विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क लगाने हेतु चिह्नित स्थल

“प्रथम भाग”		“द्वितीय भाग”	
1-	इन्दिरा चौक से डीडी चौक तक नैनीताल रोड डिवाइडर (18 पोल)	7-	रुद्रा होटल से एस्कॉटल टावर (रेनबो स्कूल) के पास तक डिवाइडर (19 पोल)
2-	देव आटो सर्विस से बड़े पानी टैंक तक घास मण्डी डिवाइडर (13 पोल)	8-	बालाजी द्वार से पंजाबी डेरी तक व गली नं०-06 तक डिवाइडर (27 पोल)
3-	काशीपुर बाईपास रोड डीडी चौक से गाबा चौक तक डिवाइडर (39 पोल)	9-	आवास विकास रोड रिंग-पाल फोर्ड शोरूम से अभिषेक मेडिकल तक (20 पोल)
4-	अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी से श्री राम एजेंसी तक डी1डी2 में विधायक आवास के सामने (14 पोल)		
5-	गल्ला मण्डी मेन रोड पद डिवाइडर (12पोल)		
6-	अहिंसा द्वार से गली नं०-3 तक (05 पोल)		
कुल पोल-101		कुल पोल-66	

डिवाइडरों पर स्थित विद्युत पोलो पर पोल कियोस्क लगाने हेतु ई-निविदा की निर्धारित **Key Dates** निम्नानुसार है:-

S. No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	28.9.22	11.00 AM
2	Documents download start date	28.9.22	11.00 AM
3	Bid submission start date	28.9.22	11.00 AM
4	Pre Bid Conference Date	6.10.22	12.30 PM
5	Bid submission End date	14.10.22	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	14.10.22	11.30 AM
7	Bid Opening Date	14.10.22	12.00 PM

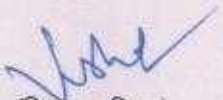

 (निशा तिवारी)
 कर एवं राजस्व मौहरीर
 नगर निगम रुद्रपुर

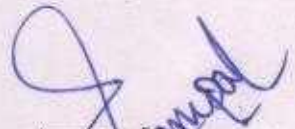

 कर निरीक्षक
 नगर निगम रुद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 (लता आर्या)
 कर अधीक्षक
 नगर निगम रुद्रपुर


 सहाय नगर आयुक्त
 नगर निगम रुद्रपुर
 ऊधमसिंह नगर


 (जुबक मोहन सक्सेना)
 वरिष्ठ वित्त अधिकारी
 नगर निगम रुद्रपुर


 (विशाल मिश्रा)
 नगर आयुक्त
 नगर निगम रुद्रपुर


 (राममल सिंह)
 महापौर
 नगर निगम रुद्रपुर